न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 108 / 2017 अपील (RCMS/2017/00185)
पंजीयन दिनांक — 30.08.2017
निर्णय दिनांक — 24.12.2019

1. श्री श्याम राव पिता श्री हरलाल मराठा, निवासी मड्डा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भगवन्त राव पिता श्री हरलाल मराठा, निवासी निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोडेन्टस्

उपस्थितिः—
1. श्री नरेश जणवा — वकील अपीलान्ट

प्रकरण संख्या—2784 / 2016, श्री भगवन्तराव मराठा बनाम श्री श्यामराव मराठा व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 24.12.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण संख्या—2784 / 2016, श्री भगवन्तराव मराठा बनाम श्री श्यामराव मराठा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- प्रश्नगत प्रकरण के प्रत्यर्थी संख्या—1 श्री भगवन्तराव मराठा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—136 भू—राजस्व अधिनियम, 1956 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके मोजा मड्डा गुलफरोशान की कृषि आराजीयात जिसका पुराना आराजी न. 303 रकबा 17 बिस्वा, आराजी न. 306 रकबा 10 बिस्वा, आराजी न. 307 रकबा 18 बिस्वा स्थित है, उक्त आराजी बाबुराव, भगवन्तराव, श्यामराव, माधवराव एवं नानाराव पिता हरलाल मराठा तथा मोतिया बेवा हरलाल जी मराठा के नाम शामलाती खातेदारी में दर्ज थी, जिसका सभी पक्षों ने आपसी सहमति से बंटवारा किया, बंटवारे का अंकन राजस्व रेकार्ड में ईंतकाल नम्बर

614 दिनांक 02.02.1997 को हुआ। उक्त अनुसार एक हिस्सा बाबुराव के नाम पर दर्ज हुआ व दुसरा हिस्सा भगवन्तराव के नाम पर दर्ज हुआ। हिस्से अनुसार भगवन्तराव के हिस्से में आराजी न. 303 व 306 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, आराजी न. 809/307 रकबा 11 बिस्वा दर्ज हुई। श्यामराव के हिस्से में आराजी न. 307/2 रकबा 7 बिस्वा बटवारें अनुसार आई एवं मौके पर सभी पक्ष उसी अनुसार काबिज है। नवीन भूप्रबन्ध लागू होने के बाद आराजी संख्या–809/307 रकबा 11 बीघा जिसके नये आराजी न. 680 रकबा 0.07 हैक्टेयर व 680 रकबा 0.07 हैक्टेयर (कुल किता 2 रकबा 0.14 हैक्टेयर) बने। इसी प्रकार श्यामराव के हिस्से की आराजी संख्या–307/2 रकबा 7 बिस्वा के नवीन आराजी न. 379 रकबा 0.09 हैक्टेयर बने, परन्तु नक्शे में गलत पैमूद हो गए, जिससे राजस्व रेकार्ड में संशोधन करते हुए पूर्वानुसार नक्शा ट्रेस के अंकन कराया जावें।

- अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया जिसके नम्बर 2784/2016 है। उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प बिनौता में रख अपील अपीलान्ट स्वीकार कर निर्णय दिनांक 14.07.2017 पारित किया और प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय 14.07.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 30.08.2017 को अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंट की ओर से कोई उपस्थित नहीं। वकील अपीलार्थी की एकतरफा बहस दिनांक 09.12.2019 सुनी गई। रेस्पाडेंटस् को निर्णय से पूर्व लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया। लिखित बहस दिनांक 16.12.2019 को प्राप्त।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी को प्रकरण लोक अदाल में रखे जाने से पूर्व अपीलार्थी का सूचित नहीं किया और उपस्थित नहीं होने पर भी निर्णय में उपस्थिति का अंकन कर निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट व रेस्पोडेंट दोनों सगे भाई है एवं वर्ष 1987 में उनके तथा अन्य भाईयों के मध्य बंटवारा हो गया जिसमें आराजी संख्या–307 जो 18 बिस्वा भूमि थी जिसका बंटवारा होने के बाद आराजी नम्बर 809/307 रकबा 11 बिस्वा भूमि रेस्पोडेंट भगवन्तराव के हिस्से में आई तथा 307/2 रकबा 7 बिस्वा भूमि अपीलान्ट श्याम राव के हिस्से में आई। आराजी नम्बर 307/2 के हाल आराजी नम्बर 379 रकबा 7 आरी हुई तथा रेस्पोडेंट भगवन्तराव के साबिक आराजी नम्बर 809/307 रकबा 11 बिस्वा के नये आराजी नम्बर 680 व 681 कुल किता 2 रकबा 14 आरी हुए। रेस्पोडेंट के पुराने आराजी न. 303 व 306 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 682 हुए, जिसके अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेंट संख्या–1 काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। इसी दरम्यान

रेस्पोडेंट संख्या–1 के आराजी नम्बर 680 हाईवे रोड़ फोरलेन में उसकी 6 आरी भूमि चली गई तथा आराजी नम्बर 688 में से एक आरी भूमि चली गई इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या–1 के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–13 में सात आरी जमीन अवाप्त हो गई जिसका मुआवजा रेस्पोडेंट को प्राप्त हुआ। अपीलान्ट के हिस्से की आराजी नम्बर 689 में से एक आरी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग में अवाप्त हुई। इस प्रकरण अवाप्ति के बाद अपीलान्ट के पास 8 आरी एवं रेस्पाडेंट के पास 7 आरी शेष रही। उक्त तथ्यों को छिपाकर रेस्पोडेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–1 ने लिखित बहस में अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए प्रस्तुत किया है कि प्रकरण राजस्व कैम्प में रखे जाने पूर्व पक्षकारों को सूचित किया गया और अधिवक्ता की उपस्थिति निर्णय में अंकित है। नवीन भू–प्रबन्ध के दौरान नक्शे में त्रुटिपूर्ण अंकन होने से अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी समक्ष राजस्व रेकार्ड में संशोधन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्बन्धित तहसीलदार, निम्बाहेडा से मौका रिपोर्ट एवं प्रस्ताव प्राप्त किए गए, जो स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों एवं मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पक्षकार अधिवक्ताओं को सुनकर पूर्णतया विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी निरस्त फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस, प्रस्तुत लिखित बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।

जहां तक अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर न प्रदान कर पारित किये जाने का प्रश्न है, निर्णय दिनांक 14.07.2017 में अपीलार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति का अंकन किया गया है। इस सम्बन्ध में अपीलार्थी अपने कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रश्नगत प्रकरण में रेस्पोडेंट संख्या–1 भगवन्तराव में उपरोक्त आराजीयात के सम्बन्ध में भू–प्रबन्ध से पूर्व एवं बाद के स्थिति का वर्णन कर भू–प्रबन्ध के दौरान हुए गलत अंकन का राजस्व रेकार्ड में संशोधन बाबत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत किया। उक्त तथ्यों की पुष्टि के क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार, निम्बाहेडा से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार, निम्बाहेडा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन एवं परिक्षणानुसार रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अवगत कराये गये पुराने एवं नवीन नक्शें में तरमीम में अन्तर की पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रेस्पोडेंट संख्या–1 द्वारा अपने कथन के समर्थन में सभी आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य

प्रस्तुत किए गए जिसका वर्णन निर्णय में भी किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट संख्या–1 को राजस्व रेकार्ड में स्पष्ट दृष्टिगत हो रही त्रुटि का पूर्व रेकार्ड अनुसार संशोधन कराने का अधिकारी माना एवं तहसीलदार, निम्बाहेडा के संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार योग्य मानते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–136 स्वीकार कर निर्णय दिनांक 14.07.2017 को पारित किया।

प्रश्नगत अपील में अपीलार्थी अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पूर्णतया तार्किक, तथ्यों एवं दस्तावेजों पर पूर्ण विचार व विश्लेषण उपरान्त पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 विधिसम्मत प्रतीत होता है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2017 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर